



नेपाल गजेट

भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड १६] काठमाडौं, माघ १० गते २०२३ साल [संख्या ३८

श्री ५ को सरकार

कानून तथा न्याय-मन्त्रालयको
सूचना

नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ (संशोधनहरू सहित) को दफा २ र ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले यो आदेश जारी गरेको छ ।

देहायका सदस्यहरू भएको विशेष अदालत गठन गरिएको छः-

- १) सहायक अञ्चलाधीश, सगरमाथा अञ्चलाधीश अफिस,
शाखा नं. २, ओखलढुङ्गा - - - अध्यक्ष
 - २) जिल्ला न्यायाधीश, ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालत - - - सदस्य
 - ३) हाकिम, ओखलढुङ्गा माल - - - सदस्य
- यस विशेष अदालतले आफ्नो इजलास ओखलढुङ्गा जिल्लाभित्र कायम गर्न सक्ने छ ।

आज्ञाते-

प्रबुद्धलाल राजभण्डारी
श्री ५ को सरकारको सचिव ।

(१)

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्रै हुनेछ।

उच्च लाफ्ट & गम

संशोधन आधिकारिक कि. ५ कि.

२६ गणित [भाग ६५०५ कि. ०९ भाग, विभागांक [३९ इण्ड

आधिकारिक कि. ५ कि.

विभागांक-भागांक भाग नमूना

भागांक

विभागांक कि. ५ ५ ५ कि. (विभागांक विभागांक) ६५०५, कि. भागांक विभागांक भागांक

१. विभागांक विभागांक कि. ५ कि. विभागांक भागांक भागांक

२. विभागांक भागांक भागांक विभागांक विभागांक भागांक

३. भागांक विभागांक भागांक भागांक भागांक भागांक (५)

भागांक - भागांक भागांक भागांक भागांक भागांक (५)

भागांक - भागांक भागांक भागांक भागांक भागांक (५)

भागांक - भागांक भागांक भागांक भागांक भागांक (५)

१. भागांक भागांक भागांक भागांक भागांक भागांक भागांक भागांक

-भागांक

विभागांक भागांक भागांक

१. भागांक विभागांक कि. ५ कि.

(१)

२५५ आधिकारिकता मुद्रण विभागबा ४ मुद्रित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।